

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग-2
संख्या 829 / 11(2)-2018/06(66)/2016
देहरादून: दिनांक, 11 मई, 2018

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद उत्तरकाशी के भागीरथी नदी में तहसील भटवाड़ी के ग्राम गंगोरी से बड़ेथी चुंगी तक 10 कि०मी० रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 382/11-2017-06(66)/2016, दिनांक 28.02.2017 में संलग्न अनुसूची-1 एवं 2 में वर्णित क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात:-

क्र०सं०	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिबन्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियों, समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 829 / 11(2)-2018-06(66)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उत्तरकाशी।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (गढ़वाल)।
6. अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक सॉफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC उत्तरकाशी की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 829 dated 11.05.2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Irrigation Section-02
No. 829 /II(2)/2018-06(66)/2016
Dehradun: Dated 11 May, 2018

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act. No 07 of 2013) the Governor is pleased to accord sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 1 and 2 of the previous notification no- 382/II-2017-06(66)/2016, dated 28.02.2017 for reach up to 10 Km from Gangori to Badethi Chungi in river Bhagirathi of District Uttarkashi, namely-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/Activities regarding embankment/flood Management, Mining, Plantation, Agriculture, Bathing Ghats, River Front development, Irrigation, Drinking water scheme, Water sports, Water transportation and Bridge etc.
2.	Restricted Area	Construction/Activities regarding Park, Sports Field, Fisheries, Agriculture etc. and the temporary construction required for religious fairs from time to time shall be permissible after getting N.O.C. from Uttarakhand Peyjal Nigam that there are appropriate management for disposal of sewerage and soild waste created by the said activities in this area. The reconstruction of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35% floor area ratio 1:5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept 1.0 M high and the examination/N.O.C. certifecate shall be required necessary from the Uttarakhand Peyjal Nigam for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment.

(Anand Bardhan)
Principal Secretary.

No. 829 /II(2)/2018-06(66)/2016

Copy to-

1. Principal Secretary/Secretary, Revenue/Housing Government of Uttarakhand.
2. Commissioner, Garhwal.
3. D.M. Uttarkashi/Flood Plain Zoning Authority, Uttarkashi.
4. Engineer in Chief, Irrigation Department. Uttarakhand, Dehradun.
5. Chief Engineer, Irrigation Department, Garhwal.
6. S.E./Ex.Engineer, Irrigation Department, Uttarkashi.
7. Director, NIC, Uttarakhand Sectariate, Dehradun with the request that please upload soft copy of this notification on NIC Uttarkashi site.
8. Joint Director, Government printing Press Roorkee with the request that please publish 200 copies of this notification in Genreal gazette and send it to Government.
9. ✓ Office Copy.

Devendra Palival

(Devendra Palival)
Additional Secretary.